संख्याः– 2816/79–6–2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–(6) लखनऊ दिनाँक 23 अक्टूबर, 2007

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयो में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके संज्ञान में लाना हैं कि विगत दिवसो में भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाले खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियो की सफाई, गुणवत्ता एवं स्वच्छता में शिथिलता के कारण कतिपय जनपदो में बच्चो के बीमार होने की घटनाएं हुई हैं। अतः इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत बच्चो को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हैं कि भोजन पकाने हेतु पूर्व से प्रचलित मानकानुसार अच्छी क्वालिटी के घी एवं तेल, जो सील बन्द/टीम के कनस्तर आदि में उपलब्ध हों, का ही प्रयोग किया जाए।

भोजन पकाने हेतु खुले घी/तेल के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाता हैं।

उपर्युक्त निर्देशो का शत–प्रतिशत अनुपालन कराया जाए।

भवदीय

ह0

(प्रशान्त कुमार मिश्र)

मुख्य सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक तद्दिनांक.

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

ह0

(रोहित नन्दन)

प्रमुख सचिव।

कार्यालय, निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकनः म0भो0प्रा0/ 11560 /07 दिनांकः 24.10.2007 .

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

ह0

(सूरज नरायण मिश्र)

उपनिदेशक,

कृते निदेशक

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण

उ0 प्र0, लखनऊ